कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा (राज.)

क्रमांक– एफ 9( )परीक्षा/कोविको/2025/3746 दिनांक– 19/12/25

आवश्यक सूचना

परीक्षा–2023 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की उपाधियाँ तैयार करने हेतु डाटा में ऑन–लाईन संशोधन बाबत्

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा दिनांक 23.01.2026 को बारहवाँ दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु परीक्षा वर्ष 2023 की विभिन्न कक्षाओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की Provisional Merit List तैयार की गई है, जिसको विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.uok.ac.in अथवा https://www.univexam.info पर प्रदर्शित किया जा रहा है। उपलब्ध Provisional Merit List में किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो अथवा संशोधन वांछित है तो दिनांक 26.12.2025 तक समस्त दर्शित सूचनाओं का प्रिन्ट निकालकर प्रिन्ट पेपर में सूचनाएं दुरुस्त/संशोधन करके स्केन कर मेल आई.डी. uokdegreeconvocation@gmail.com पर ई–मेल प्रेषित करें अथवा इस हेतु प्रार्थना पत्र मय मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन (परीक्षा भवन) में उपाधि शाखा कमरा नं. 122 में जमा करावें ।

उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा बेवसाईट पर उपलब्ध डाटा को सही मानते हुए उपाधियाँ मुद्रित करवा दी जाएगी।

Praveen

परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई वरीयता सूची (Merit List) हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षाओं जिनमें उपाधि प्रदान की जाती है, उनकी वरीयता सूची (Merit List) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई है। वरीयता सूची को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है जिसमें निम्न बिन्दु प्रमुख हैं:–

1. त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रमों में भाग–तृतीय की वर्षवार एवं कक्षावार वरीयता सूची में भाग–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की परीक्षा बिना अन्तराल एवं बिना बकाया प्रश्न पत्र के एक ही अवसर में उत्तीर्ण कर तीनों वर्षों के प्राप्तांकों के कुल योग के अनुसार सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान से दसवें स्थान तक क्रमवार वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है।
2. दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में भाग–द्वितीय / उत्तरार्द्ध को वर्षवार एवं कक्षावार वरीयता सूची में भाग–प्रथम / पूर्वार्द्ध की परीक्षा बिना अन्तराल एवं बिना बकाया प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा एक ही अवसर में उत्तीर्ण कर दोनों वर्षों के प्राप्तांकों के कुलयोग के अनुसार सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान से दसवें स्थान तक क्रमवार वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है।
3. एक वर्षीय पाठ्यक्रम पी.जी. डिप्लोमा इन लेबर लॉ की वर्षवार एक ही अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के अनुसार, प्रथम से दसवां स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किया है।
4. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 158 के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन करवाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है।
5. जिस पाठ्यक्रम में नियमित पांच छात्रों से कम की संख्या में प्रविष्ठ हुए हैं उनकी वरीयता सूची विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 122-A के अनुसार जारी नहीं की गई हैं।
6. अंक सुधार हेतु अध्यादेश संख्या 169 E-I (स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त कक्षा की परीक्षा अंक सुधार हेतु पुनः दी हो), अध्यादेश संख्या 169 E-II (स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त कक्षा की परीक्षा के एक अथवा दो प्रश्नपत्रों की परीक्षा अंक सुधार हेतु पुनः दी हो), अध्यादेश संख्या 169 E-D (स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त परीक्षा के समस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा एक ही साथ दी हो) तथा अध्यादेश संख्या 179 (स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो) ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नियमानुसार वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।
7. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण (वैकल्पिक एवं अनिवार्य विषय), पूर्व छात्रों, श्रेणी सुधार के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले छात्रों तथा अन्तराल वाले छात्रों को वरीयता सूची में नियमानुसार सम्मिलित नहीं किया गया है।
8. वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्यक्रमवार जारी वरीयता सूची में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीयों को ही स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली स्वर्ण पदक सूची में नियमानुसार सम्मिलित किया गया है। शेष श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक के लिए पात्र नहीं माना गया है।
9. ऐसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने वर्षवार एवं पाठ्यक्रमवार वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है को प्रथम से दसवां स्थान अर्जित करने का वरीयता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र जहां से अभ्यर्थी ने सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है पर भिजवाये जावेगें। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना वरीयता प्रमाण पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य से प्राप्त करें।

परीक्षा नियंत्रक